राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपीडी/टी.ए./2628/2006/टौंक

1– श्रीमती मनभर पत्नी रामप्रताप जाट, निवासी डेढाणी, तहसील मालपुरा, जिला टौंक।
2– श्रीमती सोहनी पत्नी रतनलाल जाट, निवासी काली हरडिया, तहसील मालपुरा, जिला टौंक।
3– श्रीमती नौसर पत्नी मदनलाल जाट, निवासी काली हरडिया, तहसील मालपुरा, जिला टौंक।
4– श्रीमती प्रेम पत्नी घासी जाट, निवासी डेढाणी, तहसील मालपुरा, जिला टौंक।
5– श्रीमती गोगा बेवा रामकरण जाट, निवासी रामपुरावास बागडी, तहसील मालपुरा, जिला टौंक – **तर्क**

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1– श्रीराम पुत्र मूलचंद जाट, निवासी दढावट, तहसील मालपुरा, जिला टौंक।
2– राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, मालपुरा जिला टौंक।

..... रेस्पोडेन्ट

खण्ड पीठ
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य
श्री रामनिवास जाट, सदस्य

उपस्थित–
श्री जगदम्बा प्रसाद , अभिभाषक अपीलार्थी
श्री हंगामी लाल, अभिभाषक रैस्पो0 संख्या–1

निर्णय

दिनांक : 13.02.2020

हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) की धारा 225 के अन्तर्गत न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक द्वारा प्रकरण संख्या 112/2000 शीर्षक "श्रीराम बनाम मनभर" में पारित निर्णय दिनांक 31–01–2006 के विरूद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा के समक्ष वादी/वर्तमान अपीलार्थी संख्या 1 ता 3 की ओर से इस्तकरार हक, स्थाई निषेधाज्ञा व दुरुस्ती का वाद प्रतिवादीगण/हस्तगत अपील के रैस्पो0 सेख्या–1 व अपीलार्थी संख्या 4–5 के विरुद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रश्नगत आराजी स्थित ग्राम रामपुरा बास बागडी खसरा नम्बरान 248, 271, 272, 273/2, 280, 281, 282, 283, 284, 286, 287, 290, 291, 292, 293, 294, 297, 298, 300/1, 300/2, 301/1, 303, 307 कुल किता 22 कुल रकबा 34–11 बीघा वादीगण व प्रति वादी संख्या 2 व 3 की शामलाती कब्जे काश्त की व पैतृक मौरुसी है जिसमें वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का समान हिस्सा है। रामकरण की मृत्यु करीब 4 वर्ष पूर्व हो गई और उसके बाद वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 उनके स्थान पर आराजी को काश्त करते आ रहे हैं। रामकरण के फौत होने पर प्रतिवादी संख्या–1 ने रामकरण की विरासत का इंतकाल अपने नाम, रामकरण का दत्तक पुत्र बनते हुये स्वयं के नाम एवं प्रतिवादी संख्या–2

रामकरण की बेवा के नाम तस्दीक करा लिया है। प्रतिवादी संख्या–1 श्रीरांम को रामकरण ने कभी गोद नहीं लिया था। प्रतिवादी संख्या–1 का अराजी में 1/2 हिस्सा दर्ज होने से वह वादीगण के कब्जे काश्त में व्यवधान करता है। वादपत्र में अनुतोष चाहा कि दावा वादीगण डिक्री कर प्रश्नगत आराजी में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ब0हि0 बराबर प्रत्येक को 1/5–1/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाये और प्रतिवादी संख्या–1 का नाम खातेदारी से हटाया जाये और प्रतिवादी संख्या–1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये कि वह वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं करे और ना किसी अन्य से करावें। प्रतिवादी संख्या–1 श्रीराम ने जबाबदावा प्रस्तुत किया जिसमें अंकित किया कि वादीगण ने प्रतिवादी गोगा से मिल कर यह झूठा दावा पेश किया है। वादीगण ग्राम रामपुरा बास बागडी के रहने वाली नहीं है और इनका आराजी पर कब्जा काश्त नहीं है। रामकरण का विरासत का नामांतरकरण प्रतिवादी संख्या–1 श्री राम व प्रतिवादी संख्या–2 गोगा बेवा रामकरण के नाम सही प्रकार से भरा गया है, दावा खारिज किया जाये। प्रतिवादी संख्या–2 गोगा बेवा रामकरण के जबाबदावा में अंकित किया गया कि प्रतिवादी संख्या–1 गोगा का दत्तक पुत्र नहीं है। दावा डिक्री किया जाये। परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर, मालपुरा ने निर्णय दिनांक 17–11–2000 से दावा वादी डिक्री किया जिसके विरुद्ध अपील प्रस्तुत होने पर भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक द्वारा प्रकरण संख्या 112/2000 शीर्षक "श्रीराम बनाम मनभर" में पारित निर्णय दिनांक 31–01–2006 से अपील को आंशिक रुप से स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय के निर्णय को निरस्त किया और प्रकरण में अपने स्तर से तीन तनकियां कायम करते हुये, प्रकरण को परीक्षण न्यायालय को तनकीवार विवेचन करते हुये निर्णित करने हेतु प्रति प्रेषित किया। उक्त निर्णय के विरुद्ध मूल वाद के वादी पक्ष की ओर से हस्तगत अपील पेश की गई है।

3– उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4– योग्य अधिवक्ता वादीगण/प्रतिवादी संख्या–2–3/अपीलार्थी ने बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार की दस्तावेजी या अन्य साक्ष्य इस आशय की नहीं रही थी जिससे कि परीक्षण न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार की विधिक भूल होना साबित होता, किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने परीक्षण न्यायालय के निर्णय में अनावश्यक रुप से हस्तक्षेप करते हुये प्रकरण को पुनः परीक्षण हेतु गलत प्रकार से प्रति प्रेषित किया है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि यह निर्विवाद है प्रश्नगत आराजी के खातेदारी अपीलार्थीगण के पिता/पति रामकरण रहे हैं और अपीलार्थीगण विरासतन प्रश्नगत आराजी की विधिक रुप से काबिज काश्त खातेदार हैं। प्रतिवादी/रैस्पो0 संख्या–1 के नाम रामकरण का गोद पुत्र मानते हुये आराजी को दर्ज किया गया है किन्तु प्रतिवादी संख्या–1 रामकरण का गोद पुत्र नहीं है। प्रतिवादी संख्या–1 ने स्वयं ने जिरह व सशपथ बयान में स्वीकार किया है कि उसने मु0 धापू का गोद पुत्र होने के नाते मु0 धापू पर वाद कर रखा है, अतः वह दो स्थानों पर गोद नहीं जा सकता है। वास्तव में प्रतिवादी संख्या–1 मूलचन्द जाट का पुत्र है और ग्राम दडावट का निवासी है तथा वहीं उसके द्वारा अपने पिता की सम्पत्ति को अर्जित किया गया है। योग्य अधिवक्ता ने कथन किया कि जहॉ तक प्रतिवादी संख्या–1 के पक्ष में लिखे गये बक्शीशनामा वर्ष 1977 का प्रश्न है तो इस अपुष्ट बक्शीशनामा के आधार पर प्रतिवादी को रामकरण का गोद पुत्र नहीं माना जा सकता है। प्रतिवादी मृतक रामकरण की पगडी अपने बंधने का कथन करता है, किन्तु मात्र पगडी बंधने के आधार पर वह रामकरण

को गोदपुत्र साबित नहीं हो सकता है। आर0आर0डी0 1986 पेज 295 खण्डपीठ को उद्धरित किया। योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रतिवादी ने अपने पक्ष में जो मौखिक साक्ष्य रिद्धकरण की प्रस्तुत की है वह जिरह में प्रतिवादी संख्या–1 को रिद्धकरण व धापू का गोद पुत्र बताता है, जब कि प्रतिवादी दो स्थानों पर गोद नहीं जा सकता है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपने स्तर पर जो तनकियां कायम कर प्रकरण को प्रति प्रेषित करने का आधार बनाया है, वह अनुचित है क्योंकि जो तनकियात अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय से कायम की हैं करीब–करीब उसी आशय की तनकियात परीक्षण न्यायालय द्वारा कायम की गई थीं और तनकीवार विवेचन करते हुये निर्णय पारित किया था। योग्य अधिवक्ता ने बहस में ये भी कथन किया कि अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा यदि प्रतिवादी का आदेश 14 नियम 5, सी0पी0सी0 का आवेदन खारिज कर दिया था तो इसके विरुद्ध प्रतिवादी को मण्डल के समक्ष रिवीजन करनी चाहिए थी, इस आधार पर प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित नहीं है। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थीगण को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का न्यायोचित अवसर प्रदान किए बिना इकतरफा में अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो उचित नहीं होने से, हस्तगत अपील स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय अपास्त किया जाए और परीक्षण न्यायालय के निर्णय को यथावत बहाल किया जाये।

5– रैस्पो0/प्रतिवादी संख्या–1 के पक्ष के योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक भूल नहीं की है। रैस्पो0/प्रतिवादी द्वारा प्रकरण में आवश्यक तनकियात कायम किए जाने हेतु परीक्षण न्यायालय के समक्ष आदेश 14 नियम 5, सी0पी0सी0 का आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसे अविधिक रुप से खारिज कर दिया गया और इस प्रकार परीक्षण न्यायालय के स्तर पर प्रकरण में आवश्यक तनकियात कायम नहीं की जा सकीं। प्रकरण में जो मुख्य विवाद बिन्दु है उसके निर्धारण के लिये आवश्यक तनकियात कायम हो कर उन पर विवेचन होना आवश्यक है, अतः अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा जो तनकियात स्वयं के स्तर से कायम कर प्रकरण को प्रति प्रेषित करने का आदेश पारित किया है वह विधिसम्मत है। योग्य अधिवक्ता का बहस में कथन रहा है कि प्रतिवादी मृतक रामकरण का दत्तक पुत्र है और इसी आधार पर उसके पक्ष में नामांतरकरण स्वीकृत किया गया है, अपीलार्थीगण ने इस नामांतरकरण को निरस्त कराने की कोई कार्यवाही भी नहीं की है। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का निर्णय तथ्यों व साक्ष्य पर आधारित है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

6– उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय व माननीय मण्डल के निर्णयों का अवलोकन, अध्ययन किया गया।

7– प्रकरण में दिनांक 14–10–2015 को अपीलार्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27, सी0पी0सी0 पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी ने प्रकरण में इन दस्तावेजात को आवश्यक व सुसंगत दस्तावेज बताते हुये रिकार्ड पर लेने का निवेदन किया इसके विपरीत योग्य अधिवक्ता रैस्पो0 ने इस दस्तावेजात को प्रकरण में रिलैवैण्ट नहीं होने का कथन करते हुये प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27, सी0पी0सी0 को खारिज करने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27, सी0पी0सी0 के साथ

प्रस्तुत किए गए दस्तावेजात का अवलोकन करने पर पाया जाता है कि ये दस्तावेजात प्रकरण में आवश्यक व सुसंगत दस्तावेजात हैं और प्रकरण में न्याय–निष्कर्ष पर पहुॅचने के लिए न्यायालय को मददगार साबित होते हैं। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27, सी0पी0सी0 स्वीकार किया जा कर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिया जाता है।

8– हस्तगत प्रकरण में सुस्पष्ट है कि परीक्षण न्यायालय के समक्ष वादी/वर्तमान अपीलार्थी संख्या 1 ता 3 जो कि मृतक रामकरण की वारिसान हैं, की ओर से वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रश्नगत आराजी स्थित ग्राम रामपुरा बास बागडी वादीगण व प्रति वादी संख्या 2 व 3 की शामलाती कब्जे काश्त की व पैतृक मौरुसी है। रामकरण के फौत होने पर प्रतिवादी संख्या–1 ने रामकरण की विरासत का इंतकाल अपने नाम, रामकरण का दत्तक पुत्र बनते हुये स्वयं के नाम एवं प्रतिवादी संख्या–2 रामकरण की बेवा के नाम तस्दीक करा लिया है जब कि प्रतिवादी संख्या–1 श्रीरांम को रामकरण ने कभी गोद नहीं लिया था। प्रश्नगत आराजी में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ब0हि0 बराबर प्रत्येक को 1/5–1/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाये इसके विपरीत प्रतिवादी संख्या–1 श्रीराम ने जबाबदावा में अंकित किया है कि वादीगण ग्राम रामपुरा बास बागडी के रहने वाली नहीं है और इनका आराजी पर कब्जा काश्त नहीं है। रामकरण का विरासत का नामांतरकरण प्रतिवादी संख्या–1 श्री राम व प्रतिवादी संख्या–2 गोगा बेवा रामकरण के नाम सही प्रकार से भरा गया है, दावा खारिज किया जाये। दौराने बहस अपीलार्थी की प्रमुख आपत्ति इसी आशय की रही है कि प्रति0/रैस्पो0 ने धापू का गोद पुत्र होने के आधार पर सिविल न्यायालय में वाद दायर कर रखा है जब कि वर्तमान प्रकरण में वह रामकरण का गोद पुत्र होने का कथन करते हुए आया है। इसके अतिरिक्त रैस्पो0 संख्या–1 श्रीराम ने अपने मूल पिता मूलचन्द जाट की सम्पत्ति स्थित ग्राम दडावट में हिस्सा अर्जित किया हुआ है। विधिक प्रावधानों के अनुसार एक व्यक्ति दो स्थानों पर गोद नहीं जा सकता है। उसने अपने बयानों में गोदनामा होने के तथ्य की भी पुष्टि नहीं की है। उसका मात्र यही कथन रहा है कि रामकरण की मृत्यु के पश्चात् उसकी पगडी रैस्पो0 श्रीराम के बंधी है जिससे वह रामकरण का गोद पुत्र है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपने अपीलाधीन निर्णय में अंकित किया है कि अपीलार्थी श्रीराम ने अधीनस्थ न्यायालय में चल रहे प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण करने हेतु सक्षम न्यायालय जिला कलक्टर के आदेश की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर दी थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इसे लेने से इन्कार कर दिया। इस आधार पर राजस्व अपील प्राधिकारी ने आर0आर0सी0 1999 पेज 401 प्रकरण में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला देते हुये माना है कि प्रकरण के स्थानान्तरण करने सम्बन्धी सूचना प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण में कार्यवाही को रोक देना चाहिए था। यह न्यायालय इस अभिमत से सहमत नहीं है क्योंकि मात्र प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर देने से किसी न्यायालय द्वारा कार्यवाही को स्थगित नहीं किया जा सकता है जब तक कि उच्चतर न्यायालय से इस सम्बन्ध में कोई स्थगन आदेश प्राप्त नहीं हो। राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा इसके अतिरिक्त अपने स्तर पर तीन तनकियात कायम करते हुये प्रकरण को प्रति प्रेषित कर दिया गया है। पत्रावली में उपलब्ध न्यायालय अपर जिला जज मालपुरा के समक्ष प्रकरण संख्या 3/2007 प्रस्तुत हुआ था जिसमें अपर जिला न्यायाधीश ने दिनांक 17.8.2012 को अपीलार्थी श्रीराम पि0मु0 धापू के पक्ष में निर्णय पारित किया है जिसमें स्पष्ट है कि वर्तमान रैस्पो0 श्रीराम इस प्रकरण में धापू का गोदपुत्र साबित है। इसके अतिरिक्त उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा के समक्ष वाद संख्या 64/90

निर्णय दिनांक 26–12–1995 में भी वादी श्रीराम जो कि वर्तमान अपील में रैस्पो0 है, मु0 धापू के विरुद्ध इस आशय से पेश किया कि वह मु0 धापू का दत्तक पुत्र है, इसलिए उसे आधा हिस्सा दिया जाए। इससे यह स्पष्ट है कि रैस्पे0 संख्या–1 श्रीराम ने दो स्थानों पर दत्तक पुत्र के बतौर हक हिस्सा मांगा है और अपने मूल पिता मूलचन्द जाट की सम्पत्ति स्थित ग्राम दडावट में हिस्सा अर्जित किया हुआ है, जब कि वह दो व्यक्तियों के दत्तक नहीं हो सकता है।

9– हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार निर्वसीयत मरने वाले हिन्दू पुरुष की सम्पत्ति प्राप्त करने के लिए जो सूची दी गई है उसके अनुसार पुत्र–पुत्री व विधवा प्रथम श्रेणी की वारिस में आती हैं और वर्तमान प्रकरण में मृतक रामकरण की पुत्रियां व उसकी बेवा उसकी सम्पत्ति की विधिक वारिस हैं, जो कि वर्तमान अपील में अपीलार्थी अंकित हैं। अतः अपीलार्थी अपने मृतक पिता की आराजी में हिस्से अनुसार हक प्राप्त करने की अधिकारिणी रहती हैं।

10– प्रकरण में परीक्षण पर पाया जाता है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने इस प्रकार से तनकियात कायम करते हुये प्रकरण को प्रति प्रेषित किया है किः– तनकी संख्या–1. आया वादीगण रामकरण की वारिसान हैं एवं सम्पत्ति पर काबिज हैं तनकी संख्या–2. आया वादीगण तनहा खातेदारी की घोषणा प्राप्त करने की हकदार हैं तथा तनकी संख्या–3. आया वादीगण प्रातिवादीगण संख्या–1 के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की हकदार हैं। इसके विपरीत परीक्षण न्यायालय के निर्णय के अध्ययन से पाया जाता है कि परीक्षण न्यायालय ने प्रकरण में दादरसी सहित जो 7 तनकियात कायम की हैं उनमें तनकी संख्या–2 इस आशय की कायम की गई है कि आया वादीगण व प्रतिवादी संख्या–3 मृतक रामकरण के वारिस नहीं हैं। इस प्रकार परीक्षण न्यायालय के स्तर पर जो तनकी संख्या–2 कायम की गई है उसमें अपीलीय न्यायालय के स्तर पर कायम की गई सभी 3 तनकियों का सार निहित रहा है। अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने तनकी संख्या–1 को विस्तार से विवेचित करते हुये वादीगण के पक्ष में तय किया है। स्पष्ट है कि जिन तनकियात को अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने कायम करते हुये प्रकरण को रिमाण्ड किया है उनका निस्तारण सारतः अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय के निर्णय में हो जाने से इन नवीन तनकियात पर नये सिरे से प्रकरण में सुनवाई उचित नहीं रहती है।

11– फलतः प्रकरण में निहित परिस्थितियों, रिकार्ड व तथ्यों की रोशनी में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से, अपील अपीलार्थी **स्वीकार** की जाती है और भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक द्वारा प्रकरण संख्या 112/2000 शीर्षक "श्रीराम बनाम मनभर" में पारित निर्णय दिनांक 31–01–2006 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
सदस्य

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य